NEET PG-2017/ NEET MDS-2017 के आधार पर पी.जी. पाठयक्रमों में प्रवेश के लिये काउंसिलिंग की प्रकिया

मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठयक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 (जिसे आगे नियम कहा गया है) के नियम–9 के अनुसार काउंसिलिंग प्रकिया निम्नानुसार रहेगी :–

1–सामान्य

(i) काउंसिलिंग की सम्पूर्ण प्रकिया ऑनलाईन की जायेगी । इस हेतु, निर्धारित पोर्टल **https://dme.mponline.gov.in** पर (जिसे आगे पोर्टल कहा गया है) का उपयोग किया जायेगा ।

(ii) काउंसिलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी समय–समय पर कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाईट से सतत् संपर्क में रहें।

(iii) सीटों की विषयवार, पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार जानकारी काउंसिलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी मेडिकल कॉसिल ऑफ इण्डिया/डेंटल कॉसिल ऑफ इण्डिया की वेबसाईट से भी सीटों की मान्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के संबंध में आपत्ति होने पर अभ्यर्थी पोर्टल पर आपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रकिया प्रारंभ होने के 4 दिवस पूर्व तक दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति का निराकरण काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जायेगा। काउंसिलिंग समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(v) कण्डिका 1,2,3,4,5,6 एवं 7 में उपयोग किये गये शब्दों की परिभाषा मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठयक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 के नियम 2 के अनुसार ही रहेंगीं।

2. रजिस्ट्रेशन एवं एलॉटमेंट :–

(i) अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के प्रथम चरण से पूर्व घोषित निर्धारित तिथियों में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कराया जाना होगा।

केवल आनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ही काउंसलिंग प्रकिया में भाग लेने हेतु पात्र होगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग **(choice filling)** के लिये सम्पूर्ण प्रकिया आवश्यक दिशा निर्देशों सहित पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

(ii) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रकिया सिर्फ प्रथम चरण की काउंसिलिंग से पूर्व निर्धारित तिथियों में ही उपलब्ध रहेगी। काउंसिलिंग के प्रथम चरण के प्रारंभ होने के उपरान्त आगामी किसी भी चरण में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रकिया दोबारा नहीं की जा सकेगी । सभी अभ्यर्थियों को अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग के प्रथम चरण प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी आनलाईन रजिस्ट्रेशन निर्धारित तिथियों में नहीं कराता है तो वह कांउसलिंग प्रकिया के किसी भी चरण में एवं लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन में भाग लेने के लिए अपात्र होगा।

(iii) शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय/निजी दंतचिकित्सा महाविद्यालय के लिये केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कराया जाना होगा ।

(iv) रजिस्ट्रेशन के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेखों को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

1. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्पिलीशन सर्टिफिकेट **(Comulsory Internship completion certificate)** अथवा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो ।
4. 10वी./12वी. की बोर्ड परीक्षा की अंकसूची या संबंधित बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र जिसमें स्पष्ट रूप में आयु अंकित हो–आयु प्रमाण हेतु (सेवारत अभ्यर्थियों के लिये)

(v) अभ्यर्थी सीट आवंटन के लिये अपनी पात्रता अनुसार विकल्प दे सकेंगें कि वह शासकीय स्वशासी अथवा/और निजी

महाविद्यालयों में किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं । विकल्प निम्नानुसार दे सकेंगें :–

(अ) शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय

(ब) निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय

(स) उक्त दोनों विकल्प

(vi) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 500/–, पोर्टल फीस ₹ 30/– तथा ₹ 100 च्वाईस लॉकिंग (choice locking) फीस देय होगी । यह राशि अभ्यर्थी द्वारा –

अ. इंटरनेट बैकिंग

ब. ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड

स. क्रेडिट कार्ड

के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाईन जमा की जा सकेगी ।

(vii) रजिस्ट्रेशन कराने के उपरान्त अभ्यर्थी पात्रता अनुसार पोर्टल पर च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग (choice filling and locking) करेगा। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से च्वाईस लॉकिंग के उपरान्त उसका प्रिंट आउट (printout) प्राप्त कर लें। एक बार च्वाईस लॉकिंग के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।

(viii) अभ्यर्थी जो उपलब्ध विषय/महाविद्यालय में कोई च्वाईस नहीं भरना चाहते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आप्ट फार वेटिंग (opt for waiting) का ऑप्शन (option)उपलब्ध होगा परन्तु उन्हें आप्ट फॉर वेटिंग का आप्शन लॉक करने हेतु अतिरिक्त फीस ₹ 100 भरनी होगी ।

(ix) आवंटन का परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्रावधिक (Provisional) सीट आवंटन के आवंटन–पत्र का प्रिन्ट आउट पोर्टल से ले सकेगा । इस प्रावधिक आवंटन में यह अंकित होगा कि अभ्यर्थी को कंडिका–3 अनुसार स्कूटनी के लिये कहां और कब उपस्थित रहना है ।

(x) अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अगले चरणों की काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट

सीटों के आवंटन की प्रकिया में भाग लेने के लिये अपात्र हो जायेगा। अतः **अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह भली भांति सोच विचार कर च्वाईस भरें** ।

(xi) आवंटन संबंधी आपत्ति होने पर अभ्यर्थी को आवंटन घोषणा की दिनांक से एक दिवस के भीतर निर्धारित पोर्टल पर आपत्ति दर्ज कराना होगा।

3. स्कूटनी तथा प्रवेश :–

अभ्यर्थी जिनको कंडिका–2 अनुसार प्रावधिक रूप से सीट आवंटित हुई है, उन्हें केन्द्रीयकृत स्कूटनी के लिये निर्धारित तिथि तथा स्थान पर उपस्थित रहना होगा । केन्द्रीयकृत स्कूटनी के लिये स्कूटनी समितियॉ, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित की जायेंगीं । स्कूटनी प्रकिया निम्नानुसार की जायेंगीं :–

(i) अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

(ii) स्कूटनी समिति द्वारा सीट आवंटित अभ्यर्थी की ऑनलाईन फोटो एवं हस्ताक्षर का सत्यापन नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा भेजे गये NEET PG-2017/ NEET MDS-2017 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से किया जायेगा।

(iii) स्कूटनी समिति द्वारा सीट आवंटित अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत पहचान उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये आधार नबंर से ऑनलाईन सुनिश्चित की जा सकेगी।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा NEET PG-2017/ NEET MDS-2017 को जमा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ जो फोटो संलग्न किये गए हैं उसी फोटो की 30 प्रतियॉ स्कूटनी एवं प्रवेश के समय लेकर उपस्थित होना है । इन्हीं फोटोग्राफ का उपयोग स्कूटनी एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में किया जाएगा।

(v) स्कूटनी समिति, अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों (मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 के नियम 6 (xi) में उल्लेखित) का सत्यापन करेगी, जिससे कि प्रवेश के लिए उनकी पात्रता/अपात्रता निर्धारित हो सके। अभ्यर्थियों को लागू सभी प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की मूल प्रतियॉ एवं दो छाया प्रतियां

स्कूटनी की दिनांक को लाना अनिवार्य होगा । छायाप्रतियों पर अभ्यर्थी पूर्ण हस्ताक्षर करेंगें।

(vi) दिव्यांगों के लिये आनलाईन रजिस्ट्रेशन के पश्चात् निचले अंगो की गतिक विकलांगता के प्रतिशत 50 से 70 विंकलांगता (पी.एच.1) तथा 40 से 50 प्रतिशत से कम विकलांगता (पी.एच.2) के आधार पर प्रावधिक आवंटन (प्रोविजनल) जारी होगा । स्कूटनी के पश्चात् ही उपरोक्त प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण होगा । अपात्र पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का प्रावधिक आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं इस तरह रिक्त हुई सीट को अगले चरण की काउंसिलिंग में शामिल किया जायेगा ।

(vii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्कूटनी कमेटी द्वारा अपात्र घोषित किया जाता है, उनका आवंटन स्वमेव रद्द माना जायेगा एवं इसके फलस्वरूप रिक्त हुई सीट को अगले चरण की काउंसिलिंग में दर्शाया जायेगा।

(viii) स्कूटनी कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्व अपील निर्धारित समयावधि में उसी चरण की काउंसिलिंग के दौरान पोर्टल पर कराना होगा। मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 के नियम–9 में निर्धारित काउंसिलिंग समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

(ix) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें स्कूटनी समिति द्वारा पात्र (eligible) घोषित किया गया है उन्हें संबंधित आवंटित संस्था की पूर्ण फीस पोर्टल पर, ऑनलाईन, स्कूटनी स्थल पर ही जमा करना अनिवार्य होगा।

(x) चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के लिये नियम 2017 के नियम 10 के अनुसार कार्यवाही करनी होगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने पर महाविद्यालय को पोर्टल पर संबंधित अभ्यर्थी का एडमिशन स्लिप (Admission slip)जनरेट कर अभ्यर्थी का प्रवेश लॉक (Lock) किया जाना होगा। यह चयनित अभ्यर्थी का उस चरण की काउंसिलिंग का अंतिम प्रवेश माना जायेगा। संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को जमा कराये गये मूल दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

(xi) प्रवेश के समय अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों पर पूर्ण हस्ताक्षर करेंगें । सभी स्थानों पर एक समान

हस्ताक्षर किये जाने होंगें। हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट पर प्रवेश का हकदार नहीं होगा ।

(xii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग के प्रथम चरण मे सीट आवंटित हुई है उन्हें अगले चरण की काउसिंलिंग के लिये पोर्टल पर यह आप्शन देना अनिवार्य होगा कि वह अपग्रेडेशन चाहता है अथवा नहीं [willing for upgradation (YES OR NO)] । पोर्टल पर डिफाल्ट आप्शन (default option) not willing for upgradation होगा ।

(xiii) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार सीट व महाविद्यालय आवंटित किये जाने के पश्चात् नियमानुसार पुनः आवंटन (upgradation)की पात्रता मेरिट के अनुसार होगी । इसके लिये अभ्यर्थी को प्रत्येक आवंटन पश्चात् निर्धारित तिथि तक मूल दस्तावेंजों की स्कूटनी एवं शुल्क जमा करने पश्चात् संबंधित महाविघालय में निर्धारित तिथि तक मूल दस्तावेज जमा कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी ।

(xiv) प्रथम बार चयन के पश्चात भरी गई फीस आगामी चयन के लिये समायोजित की जा सकेगी। समायोजन के पश्चात् अधिक भरी गई फीस अभ्यर्थी के बैंक खातें में सम्पूर्ण काउंसिलिंग समाप्त होने की दिनांक से 7 दिवस के भीतर जमा करा दी जायेगी।

(xv) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें काउंसिलिंग के प्रथम चरण में अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है, अगले चरण में अपग्रेड होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी ।

(xvi) ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेड होते हैं उन्हें नवीन आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश के समय जमा किये गये दस्तावेज का प्रमाण पत्र नवीन आवंटित संस्था में प्रवेश हेतु प्रस्तुत करना होगा। इन अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज सम्पूर्ण काउंसिलिंग के समापन होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर पूर्व प्रवेशित संस्था से प्राप्त कर नवीन प्रवेशित संस्था में जमा कराने होंगें।

(xvii) ऑल इण्डिया कोटे की रिर्वटेड सीटों का वितरण कम्प्यूटराईज (Computerized) रेण्डम नंबर जनरेशन (Random number Generation) पद्वति से श्रेणीवार किया जायेगा।

(xviii) प्रथम चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त आगामी चरणों की काउंसिलिंग में निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे :–

क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है तथा willing for upgradation का ऑप्शन दिया है।

ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग के पूर्व के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।

ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों में च्वाईस फिलिंग नहीं की है अथवा ऑप्ट फार वेटिंग का ऑप्शन दिया है ।

अर्थात् प्रथम चरण के उपरान्त आगामी चरणों की काउंसिलिंग में निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे :–

क) यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी कारण से उस सीट से त्यागपत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थी को शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की आगामी चरणों की काउसंलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन की प्रकिया में भाग लेने के लिये अपात्र माना जायेगा ।

ख) आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थी।

(xix) कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की जमा फीस संबंधित कॉलेज के निर्धारित बैंक खाते में सम्पूर्ण काउंसिलिंग समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर जमा करा दी जायेगी। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत होंनें पर कॉलेज पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकेंगें।

4. **लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन के समय अभ्यर्थी को शासकीय स्वशासी/निजी कॉलेजों की पूर्ण वार्षिक फीस तथा सभी मूल दस्तावेज काउंसिलिंग स्थल पर जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट आवंटित नहीं की जाएगी ।**

5. लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी **पात्र** होंगें:–

क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।

ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग में ऑप्ट फार वेटिंग का ऑप्शन दिया है ।

ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों में च्वाईस फिलिंग नहीं की है।

अर्थात् लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी **अपात्र** होंगें:–

क) ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउसिंलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं ।

ख) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है ।

ग) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउसंलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्यागपत्र दिया गया है ।

6. प्रवेशित सीट से त्यागपत्र/प्रवेश का निरस्तीकरण किया जाना :–

यह प्रकिया संबंधित महाविद्यालय में आनलाईन की जायेगी।

(i) प्रवेश निरस्तीकरण का आशय यह है कि कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी कारणवश स्वेच्छा से सीट रिक्त/परित्याग करता है तो इस प्रक्रिया को प्रवेशित सीट से त्यागपत्र माना जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई छात्र प्रदेश के अंदर एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रवेश लेता है तब इस प्रकिया को अपग्रेडेशन/पुर्नआवंटन कहा जायेगा ।

(ii) किसी भी शासकीय संस्था में प्रवेश से त्यागपत्र के प्रकरणों के लिए निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

प्रवेश के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण औचित्य के साथ संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य को (संबंधित छात्र द्वारा) प्रस्तुत करना होगा। संबंधित छात्र को आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राफ (जो उसने प्रवेश के समय प्रस्तुत किये थे), एडमीशन स्लिप की

स्वप्रमाणित प्रति, तथा जमा की गई फीस की रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य, द्वारा आवेदन पत्र पर निर्णय लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुति के 3 दिवस के भीतर संबंधित छात्र, एम.सी.आई./डी.सी.आई. तथा संबंधित विश्वविद्यालय एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा को सूचित किया जायेगा। जहॉ सीट लीविंग बॉण्ड **(Seat Leaving Bond)** की शर्त लागू हो उन प्रकरणों में त्याग पत्र के पूर्व सीट लीविंग बॉण्ड **(Seat Leaving Bond)** की राशि जमा कराई जाना अनिवार्य होगा, प्रवेश निरस्त होते ही संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा मूल अभिलेख संबंधित छात्र अथवा अधिकृत अभिभावक को उसी दिन वापस किये जायेंगें। संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश को निम्नानुसार भेजी जाना सुनिश्चित करेगें :–

संस्था द्वारा किये गये प्रवेश निरस्तीकरण की जानकारी अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश को निर्धारित प्रारूप (प्रोर्फामा–6) पर ई–मेल **dme12001@ yahoo.com** और डाक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

7. <u>अन्य–</u>

(i) सभी संस्थाएं प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की पूर्ण सूचियॉ कम से कम एक वर्ष तक अपनी वेबसाईट निरन्तर प्रदर्शित करेंगीं ।

(ii) संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा काउंसिलिंग की अंतिम तिथि के पश्चात् 7 दिवस के अंदर समस्त प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, एम.सी.आई. तथा डी.सी.आई. के प्राधिकृत अधिकारी को ई–मेल, और डाक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप (प्रोफार्मा–6) में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।